रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247661
CG-DL-E-27072023-247661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 181] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश

सं. 27/02/2023-आरसीएम.—1. पृष्ठभूमि

देश में पवन ऊर्जा का परिनियोजन 90 के दशक की शुरुआत में आरंभ हुआतथा केंद्र और राज्य स्तर पर प्रदान किए गए अनुकूल नीति वातावरण के साथ इस खंड ने अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बीच सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। दिनांक 31 मई, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता 43 गीगावॉट से अधिक है, जो कुल संस्थापित क्षमता का 10% से अधिक प्रदान करती है। विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा सस्थापित क्षमता के मामले में भारत चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों से 500 गीगावॉट विद्युत क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने देश में पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन किया, जो जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर लगभग 1,164 गीगावॉट होने का अनुमान है।इसकी अधिकतर क्षमता आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में मौजूद है।

विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विद्युत अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।राष्ट्रीय

विद्युत नीति, 2005 में लागत कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का प्रावधान है। दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी टैरिफ को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

2. दिशानिर्देशों के उद्देश्य

इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(क) नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि करने और वितरण लाइसेंसधारियों कीनवीकरणीय क्रयदायित्व (आरपीओ) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(ख) विभिन्न हितधारकों के बीच उपयुक्त जोखिम हिस्सेदारी के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाके आधार पर एक पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद फ्रेमवर्क प्रदान करना ताकि उपभोक्ता के हित में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत की खरीद हो सके, परियोजनाओं की बैंक ग्राह्यता में सुधार हो सके और निवेशकों के लिए उचित प्रतिफल सुनिश्चित हो सके; तथा

(ग) क्षेत्र को जोखिम रहित बनाने के लिए एक और उपाय के रूप में, विद्युत की अंतर-राज्यीय/अंतः-राज्यीय, दीर्घावधिक, बिक्री – खरीद के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना।

3. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

(क) ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत, (क) अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली संबद्ध परियोजनाओं के लिए 10 मेगावाट और उससे अधिक की बोली क्षमता; और (ख) अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली संबद्ध परियोजनाओं के लिए 50 मेगावाट और उससे अधिक की बोली क्षमता वाली ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं ("डब्ल्यूपीपी") से, 'खरीददार(रों)' द्वारा बिजली की खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण

(क) **'खरीददार(रों)':** जैसाकि प्रसंग में अपेक्षितहै, 'खरीददार(रों)' शब्द से तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी (कों) अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (यों) अथवा मध्यस्थ खरीददार से होगा।

(ख) खरीददार(रों) का 'अधिकृत प्रतिनिधि': ऐसे मामलों में, जहां विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षरकर्ता एजेंसी और निविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी अलग-अलग हैं, तोनिविदा/बोली लगाने वाली एजेंसी 'खरीददार' की अधिकृत प्रतिनिधि मानी जाएगी और खरीददार की ओर से इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली प्रक्रिया चरण के दौरान 'खरीददार' पर लगाई गई सभी बाध्यताओं को पूरा करने की जिम्मेदार होगी।

(ग) **'मध्यस्थ खरीददार':**

(i) कुछ मामलों में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित मध्यस्थ को विभिन्न उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत को एकत्रित करने और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/उपभोगकर्ता कंपनियों/खुली पहुंच उपभोक्ताओं को बेचने का कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसे मामलों में, इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ वितरण अनुज्ञप्तिधारी/उपभोगकर्ता कंपनियां/ खुली पहुंच वाले उपभोक्ता "अंतिम खरीददार" होंगे और मध्यस्थ 'मध्यस्थ खरीददार' होगा।

(ii) मध्यस्थ खरीददार डब्ल्यूपीजी के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) करेगा और साथ ही, अंतिम खरीददार के साथ विद्युत विक्रय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसएमें साथ-साथ आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रावधान भी शामिल होंगे। अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को 0.07 रु./किलोवाट घंटा के ट्रेडिंग मार्जिन का भुगतान किया जाएगा।

(iii) जब तक मध्यस्थ खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा, तब तक अंतिम खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया मान लिया जाएगा।

(घ) 'पवन विद्युत उत्पादक (डब्ल्यूपीजी)/उत्पादक' : उत्पादक इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'पवन विद्युत उत्पादक/उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह पवन विद्युत से उत्पादित विद्युत के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।

(ङ) आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी): संविदात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) में दर्शाए गए आपूर्ति की शुरूआत की तिथि,के अनुरूप तिथि से होगा।

इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार, अधिकृत प्रतिनिधि और मध्यस्थ खरीददार पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशानिर्देशों से प्रस्तावित किसी भी विचलन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों के खंड 18 में निर्दिष्ट है।

इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का मानक बोली दस्तावेजों [जिसमें मॉडल चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत विक्रय करार शामिल है] में उपयुक्त रूप से विस्तृत वर्णन किया जा सकता है।

आधिकारिक राजपत्र में इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना पर, दिनांक 8.12.2017 की संख्या 23/54/2017-आर एंड आर के माध्यम से अधिसूचित पूर्ववर्ती दिशानिर्देश और तत्संबंधी संशोधन, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जारी की गई बोलियों के लिए लागू नहीं होंगे। तथापि, पूर्ववर्ती बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत पहले से ही अवार्ड की गई/कार्यान्वयनाधीन/आरंभ की गई परियोजनाएं, उन दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी। यदि ऐसी कोई चालू बोलियां हैं जिनमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद है, तो ऐसी बोलियों के संबंध में निविदा दस्तावेजों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

4. बोली आमंत्रित करने तथा परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया

खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगाः-

4.1 बोली दस्तावेजः

(क) इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करना।

(ख) इन दिशानिर्देशों के खण्ड 18 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन दिशानिर्देशों और/अथवा मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) सेप्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में यदि कोई विचलन हो, तो उसके लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।

तथापि, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान, इन दिशानिर्देशों में नहीं दिए जाने के बावजूद भी इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे।

4.2 आपूर्ति की शुरूआत से संबंधित व्यवस्थाएं

आरएफएस, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ उत्पादक द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्यों/अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुंच (यदि लागू हो) सहित सभी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना डब्ल्यूपीजी की जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।

5. बोली संरचना

5.1 बोली का आकार: खरीददार बोलियाँ विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भमें आमंत्रित करेगा।न्यूनतम बोली क्षमता दिशानिर्देशों के खंड 3 के अनुसार होगी। खरीददार अधिकतम क्षमता निर्दिष्ट करने का विकल्प भी चुन सकता है जिसे उसके सहयोगियों[1] सहित एकल बोली लगाने वाले को आवंटित किया जा सकता है।

---

[1]किसी कंपनी के संबंध में **सहयोगी** का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कंपनी को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है। अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का अर्थ ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या बहुमत निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

5.2 बोली मापदंडः

5.2.1 पवन विद्युत की खरीद के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत टैरिफ बोली मापदंड होगा।खरीददार एक बेंचमार्क टैरिफ निर्दिष्ट कर सकता है और उस स्थिति में बोलीदाता को बेंचमार्क टैरिफ से अधिक टैरिफ उद्धृत नहीं करना होगा। उद्धृत टैरिफ पीपीए अवधि के लिए रुपये/किलोवाट घंटे में बेंचमार्क टैरिफ होगा।

5.2.2. क्षमता का आवंटन बकेट फिलिंग आधार पर किया जाएगा, अर्थात उद्धृत दरों(एल 1 दरों) पर सबसे कम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाता (एल 1 बोलीदाता) द्वारा उल्लिखित क्षमता पहले आवंटित की जाएगी, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी"के अंतर्गत आती हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को अवार्ड किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य बोली, रुपये प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, "L1+x%" की श्रेणी में हो; जबकि "x" का मान सामान्यत: दो (2) से पांच (5) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।"

5.2.3 खरीदार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। खरीददार आरएफएस में डब्ल्यूपीजी को उपलब्ध मौजूदा प्रोत्साहनों का प्रकटन कर सकता है।

5.2.4 किसी एक बोलीदाता को आरएफएस में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसारकुल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है।

6. विद्युत क्रय करार

सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो),आरएफएस के साथ-साथ, जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे, जिसमें जब तक यहां अन्यथाउल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में *साथ-साथ* आधार पर शामिल किया जाएगा।

6.1 पीपीए अवधिःपीपीए की अवधि सामान्यतः एससीएसडी की तिथि से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए अथवा खरीदादर द्वारा डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण से बाहर के आधार पर दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरूआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्षकी दीर्घ अवधि के लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथापुनः शक्तिकरण कर सकता है; और बाद की बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है। जिन विकासकर्ताओं ने पहले ही पवन विद्युत संयंत्र आरंभ कर दिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता है, वे भी बोली में भाग लेंगे।ऐसे मामले में, उन्हें विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।

6.2 विद्युत की मात्राः खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में होगी।

6.2.1 विद्युत संदर्भ (मेगावाट) में खरीदः

क. विद्युत (मेगावाट) संदर्भ में खरीद के मामले में, क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा से कम ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति करती

है, तो डब्ल्यूपीजी का खरीददार को उपलब्धता में ऐसे संविदा किए गए सीयूएफ स्तर से कमी के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के दंड की राशि की गणना, पीपीए की शर्तों के अनुसार, ऊर्जा के संदर्भ में कमी के लिए पीपीए टैरिफ के 50% (पचास प्रतिशत) की दर पर होगी।

ख. यदि किसी मामले में ऊर्जा की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम सीयूएफ से अधिक है तो डब्ल्यूपीजी इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इसको मना करने का प्रथम अधिकार खरीददार (खरीददारों) का होगा। खरीददार अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अस्वीकृति प्रदान करेगा, जिसके बाद, इसे अस्वीकार माना जाएगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीदलेता है, तो वह उसको पीपीए टैरिफ के अनुसार खरीदेगा, और आर एफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

ग. डब्ल्यूपीजी, खरीददार(रों) (अधिकतम सीयूएफ के भीतर) को डे अहैड आधार पर प्रस्तावित की गई, परंतु खरीददार(रों) द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल नहीं की गई विद्युत, की बिक्री, खरीददार(रों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा।

6.2.2. गैर-निष्पादन के लिए शास्ति आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार होगी।विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) (अंतःक्षेपण, हस्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/आरएलडीसी सहित) पर शेड्युलिंग और उसकी पंचिंग की जिम्मेवारी केवल डब्ल्यूपीजी की होगी।

6.2.3. विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम):निर्धारित समय से विचलन के लिए, मौजूदा विनियमों के अनुसार, डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतानडब्ल्यूपीजी द्वारा किया जाएगा।

6.3 भुगतान सुरक्षा

विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियमावली, 2022 और समय-समय पर जारी इसके संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, यदि कोई हो, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि का रखरखाव करेगा। निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु,विकासकर्ता को प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का वचन देना होगा।

6.4 अप्रत्याशित घटनाः पीपीए में, अप्रत्याशित घटनाकी परिभाषाओं, अपवादों, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। डब्ल्यूपीजी खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरु होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे का उत्तर देगा।

6.5 ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजाः यदि खरीदार डब्ल्यूपीजी द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत का ऑफ-टेक नहीं करता है, तो शास्तिसमय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, होगी।

6.5.1 ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजाः संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए डब्ल्यूपीजी जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे पर ध्यान दिया जाएगाः

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	**उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान**
किसी संविदा वर्ष में 50 घण्टों से अधिक के रूप में संविदा वर्ष में ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टों की संख्या***

	तथापि, तृतीय पक्ष बिक्री अथवा पावर एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों की कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।

6.5.2 **ऑफ-टेक में कमी के मामले में भुगतान:**यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीददार द्वारा विद्युत मंत्रालय की दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन, की अनुपालना न होने के कारण विद्युत डिस्पैच न होने सहित विद्युत ऑफ-टेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति संबंधी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीददार से भुगतान के लिए, निम्नलिखित तरीके से घटे हुए ऑफ-टेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

ऑफ-टेक में कमी की अवधि	**उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान**
एक वर्ष में50घण्टों से अधिक की ऑफ-टेक में कमी, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा = ***((टैरिफ X प्रस्तावितआरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं)) x 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घंटों की संख्या*** *तथापि, तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा पावर एक्सचेंज में बिक्री के मामले में, मूल्यग्राही रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर, देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा।*

6.5.3 मुआवजे का दावा करने के लिए, उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रुप में, पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मुआवजा, घोषित क्षमता तक, वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा, जो अधिकतम संविदा की गई क्षमता और खरीददार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

6.6 चूक की स्थिति (इवेंट ऑफ डिफॉल्ट)

(क) एससीएसडी से विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत में छह माह से अधिक विलंब के लिए, उत्पादक को चूक की घटना हुई माना जाएगा और परिणाम खंड 14.5 के अनुसार होंगे।

(ख) यदि उत्पादक पीपीए में घोषित न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहता है, तो उत्पादक की चूक होगी और पीपीए को समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।इसके अतिरिक्त, उत्पादक निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ के साथ अपनी संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ के, 24 (चौबीस) माह अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाना, खरीददार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि उत्पादक पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों का निर्वहन करता है अथवा प्रतिस्थापन करता है अथवा पीपीए का परित्याग करता है, अथवा पीपीए में यथा निर्धारित किसी प्रकार के अन्य कृत्य अथवा चूक करता है तथा पीपीए में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपचार अवधि के भीतर उपरोक्त किसी भी प्रकार का हल निकालने में असफल होता है, तो उत्पादक, खरीददार को, उसकी निर्धारित सीयूएफ के साथ संविदा की गई क्षमता के लिए टैरिफ के, 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य हर्जाने, का भुगतान करेगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह किसी भी अन्य कानूनी प्रक्रिया या उपचार के उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, जब्त करके उक्त हर्जाने की वसूली करे।

(घ) उपरोक्त अनुसार हर्जाने की वसूली के साथ-साथ, उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में, ऋणदाता, पीपीए में उपबंधित प्रतिस्थापन उपबंधों तथा खरीददारों की सहमति के अनुसार, प्रतिस्थापन के अपने अधिकार का

प्रयोग करने का पात्र होगा।तथापि, यदिऋणदाता निर्धारित अवधि के भीतर, चूककर्ता उत्पादक के प्रतिस्थापन में असफल होते हैं, तो खरीददार पीपीए को समाप्त कर सकता है।

(ङ) यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथवा पीपीए के समापन के अनुसरण में, देय राशियों के समय पर भुगतान में विफलता सहित अन्य कारणों से चूककर्ता है, तो उत्पादक अपने विवेकानुसार पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता खरीददार उत्पादक को, निर्धारित सीयूएफ के साथ उसकी संविदा की गई क्षमता के लिएप्रभारों के 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य, हर्जाने का भुगतान करेगा।

6.7 विधि में परिवर्तनः विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।

7. बोली प्रक्रिया

7.1 खरीददार/मध्यस्थ खरीददार एकल चरण,दो भाग (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करेगा, बोली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्ह पाए जाएंगे।खरीदार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

7.2 खरीददार बोलीदाताओं को, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पवन विद्युत परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) की संस्थापना के लिए आरएफएस में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगा।

7.3 विकासकर्ता, जिन्होंने पहले ही क्षमता संस्थापित कर ली है अथवा जिनके पास अतिरिक्त अबद्ध क्षमता है, वे भी इस बोली में भाग ले सकते हैं।

7.4 खरीददार द्वारा, आरएफएस, मसौदा पीपीए तथा मसौदा पीएसए (यदि लागू हो) सहित बोली दस्तावेज को, इन दिशानिर्देशों तथा एसबीडी, यदि कोई हो, तो उनके अनुरूप तैयार किया जाएगा।

7.5 खरीददार इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अथवा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।

7.6 खरीददार प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता के लिए बोली दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टियां पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन या आशोधन जारी किए जाने पर बोलीदाताओं को, बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए, तब से कम से कम 7 (सात) दिनों का समय दिया जाएगा।

8. चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज

आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:

8.1 बोली प्रभावनीयताः बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह प्रभावनीय हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो।

क. बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।

ख. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार, किसी भी कंसोर्टियम सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी सहित किसी भी बोलीदाता तथा उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशकों को, भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरणों द्वारा, बोलीदाता अथवा सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा,

जहां लागू हों अथवा उनके व्यवसाय के मूल स्थान के अधिकार क्षेत्र में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलेपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक, इंटर-अमेरीकन डेवलेपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंकआदि या संयुक्त राष्ट्र या इसका कोई भी एजेंसियों को वर्जित अथवा ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

8.2 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यता अपेक्षाएं

8.2.1 तकनीकी मानदंड:सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, खरीददार तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिएं ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।तकनीकी मानदंडों को पूरा करने के लिए कट-ऑफ तिथि सामान्यतः उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के रूप में रखी जानी चाहिए जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें बोली लगाई जा रही हो, से पिछला वित्तीय वर्ष हो।

8.2.2 वित्तीय मानदंड

(क) निवल मूल्य

i). खरीददार आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्य के रूप में वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेगा। निवल मूल्य की आवश्यकता उस वर्ष, जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, के लिए डब्ल्यूपीपी हेतुअनुमानित पूंजीगत लागत का कम से कम 20% अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होनी चाहिए।

ii). उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य बोलीदाता कंपनी या संघ (कंसोर्टियम) का संचयी निवल मूल्य होगा, जिसमें बोलीदाता (ओं) की ऐसी सहायक कंपनियों का निवल मूल्य शामिल होगा जो आरएफएस दस्तावेज के अनुसार, बोलीदाता (ओं) के ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में अपेक्षित इक्विटी वित्तपोषण और कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियां देने का वचन देंगी।

iii). स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचार किए जाने वाला निवल मूल्य कंपनी अधिनियम के अनुसार गणना किया गया कुल निवल मूल्य होगा।

(ख) परिसमापनः आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह/आंतरिक प्राप्तियां हैं। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकता है।

8.3 बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्राः खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जो डब्ल्यूपीपी की अनुमानित पूंजी लागत के दो प्रतिशत अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मापदंड से कम नहीं होगी। डब्ल्यूपीजी की निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जब्ती या डिबारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।

8.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालनः यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।

9. बोली प्रस्तुत तथा मूल्यांकन करना:

9.1 बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड, तथा लॉक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।

9.2 खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।

9.3 बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।

9.4 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में सभी मूल्यांकन मापदंडों के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, मूल्य बोली पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

9.5 प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।

9.6 यदि मूल्य बोली मेंबोली संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो इसे निरस्त किया जाएगा। इस स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

9.7 आरएफएस में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।

10. बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय सारणी

10.1 बोली प्रक्रिया में, आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारिणी नीचे दी गई है:-

बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्र.सं.	कार्य वृतांत	शून्य तिथि से समय
1	दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत क्रय करारों व अन्य मसौदा परियोजना करार और विद्युत विक्रय करार (पीएसए), यदि लागू हो, जारी करने की तारीख	शून्य तारीख
2	बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल, यदि खरीददार द्वारा उल्लेख किया गया हो, सहित सभी परियोजना विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा** कक्ष खोलना, और आरएफएस में संशोधन करना।	**
3	आरएफएस बोली प्रस्तुत करना	22 दिन
4	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	64 दिन
5	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना	99 दिन
6	अवार्ड पत्र [लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)] जारी करना	110 दिन
7	पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो)	140 दिन

**आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 7.6 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।

नोट: *यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार उस कार्य से पहले पूरी की जाने हेतु अपेक्षित गतिविधियों की प्राप्ति में विलंब के कारण से बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगा देता है, इस तरह के समय विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।*

10.2 सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी होने की संभावना है।

11. संविदा अवार्ड करना और समाप्त करना

11.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के हस्ताक्षर होंगे।

11.2 आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए खरीददार एक समिति का गठन करेगा। बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, गंभीरतापूर्वक गुणदोष की दृष्टि से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिए कि

चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि अंकित दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।

11.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार, सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ का प्रकटन करेगा। यह सार्वजनिक प्रकटन अपेक्षित ब्यौरे कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर किया जाएगा।

11.4 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी,इन दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में, टैरिफ प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, समुचित आयोग द्वारा प्राप्त टैरिफ लागू करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।

11.5 यदि वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, टैरिफ लागू करने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर जो भी अधिक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इसे अपनाने/अनुमोदित करने में देरी [(60 (साठ) से अधिक दिनों के विलंब अथवा विद्युत विक्रय करार (पीएसए) से 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक के विलम्ब, जो भी अधिक हो]के अनुसार, उत्पादकों को चालू करने के एससीएसडी में समुचित आयोग द्वारा अपनाए। अनुमोदन किए जाने की तिथि तक उचित विस्तार प्रदान करेगा।

12. बैंक गारंटी/आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र

खरीददार को, डब्ल्यूपीजी को आरएफएस की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/वचन पत्र देना होगा।

12.1 **खंड 8.3 के अनुसार बयाना जमा राशि (ईएमडी),**आरएफएस की प्रतिक्रिया सहित निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लि. (आरईसी) से, आरएफएस के अनुसार, निविदा संबंधी शर्तों मेंडब्ल्यूपीजी के चूक की स्थिति मेंभुगतान करने के लिए "आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र।

"आदेश पर भुगतान पत्र" *का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के "आदेश पर भुगतान पत्र" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र"दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।*

12.2 **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**उस वित्तीय वर्ष, जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, के लिए पवन ऊर्जा परियोजना हेतु अनुमानित पूंजी लागत का 5% (पांच प्रतिशत) या समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा, जो भी हो कम हो, के अनुसार होगी। पीबीजी, पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना है:

(क) बैंक गारंटी (गारंटियां);

या

(ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से, निविदा संबंधी शर्तों के संदर्भ में डब्ल्यूपीजी की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र";

12.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। परियोजना की आंशिक क्षमता से विद्युत की आपूर्ति के चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

12.4 खरीददार "निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।

13. प्रमोटर द्वारा शेयरधारिता

13.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीवी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीवी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। तथापि, यदि सफल बोलीदाता स्वयं पीपीए निष्पादित करेगा, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण[2] नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।

13.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 यदि डब्ल्यूपीजी ऋणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।

14. विद्युत की आपूर्ति का आरंभ

14.1 पवन परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।

14.2. आपूर्ति समय की शुरुआतः

(क) परियोजनाएं आम तौर पर विद्युत की आपूर्ति निम्नलिखित अवधि के भीतर आरंभ करेंगीः

i. जहां परियोजना का आकार 1,000 मेगावाट से अधिक या उसके बराबर न हो,विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;

ii. 1000 मेगावाट से अधिक परियोजना आकार के लिए विद्युत क्रय करार के निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह;

---

[2] *[अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या अधिकतर निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।]*